

21-9-22

पत्रावली पैरा। वादी अधिवक्ता उय.। वादी अधिवक्ता ने वाद (88,53,188 RT.सी.ए.) को नोट प्रेस जारि का निवेदन किया कि उक्त प्रकरण आगे चलना नहीं चाहते हैं अतः वाद जारि नोट प्रेस खारिज करमावे। पत्रावली का अवलोकन किया, मजमूना किया। अर्थात्। वादी की ओर से अधिवक्ता का प्रार्थना पत्र। वाद (88,53,188 RT.सी.ए.) जारि नोट प्रेस इसी स्वर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली केवल शुभाह दोगल दारिखल दफ्तर दोगल मजमूना से माता है।

Not
press
copy

सहायक कलेक्टर, सांघौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांघौर)

